पत्रांक–2ब०/जला०–01–14/2017 4567 /न०वि०एवंआ०वि०

*ई–मेल
स्पीड पोस्ट/निबंधित डाक

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

चैतन्य प्रसाद,
सरकार के प्रधान सचिव।

सेवा में,

नगर आयुक्त,
नगर निगम, मुजफ्फरपुर।

पटना, दिनांक– 24/8/18

विषयः– वित्तीय वर्ष 2018–19 में मुजफ्फरपुर नगर निगम के 11 अकार्यरत जलमीनार को कार्यरत बनाने हेतु ₹527.11900 लाख (पाँच करोड़ सताईस लाख ग्यारह हजार नौ सौ रु०) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि नगर आयुक्त, नगर निगम, मुजफ्फरपुर के पत्रांक–523, दिनांक– 20.07.2018 द्वारा मुजफ्फरपुर नगर निगम के 11 अकार्यरत जलमीनार को कार्यरत बनाने हेतु ₹527.11962 लाख (पाँच करोड़ सताईस लाख ग्यारह हजार नौ सौ बासठ रु०) मात्र का प्राक्कलन उपलब्ध कराते हुए योजना की प्रशासनिक स्वीकृति एवं राशि आवंटित करने का अनुरोध किया गया है। उक्त प्राक्कलन में मुख्य अवयव एवं राशि निम्नवत है :–

Rs in Lakh

Part- A	Repairing and allied works for two nos. MS Steel OHSRs and Pump houses, rising main and activation of water supply through existing distribution system.	41.43077
Part- B	Structural Stability Check for 5 Nos Old RCC OHSRs	25.57500
Part- C	Construction of 3 Nos new Tube wells- 450 mm x 300 mm x 150m m deep with 40 m Strainer.	20.20620
Part- D	Repairing and allied works for four nos. RCC OHSRs of PHED and Pump Houses for activation of water supply through existing sistribution system.	87.33654
Part- E	Repairing and allied works for five nos. old RCC OHSRs (2 nos. - 1965 & 3 nos. - 1986) and Pump House- 1 No, constuction of 3 nos. new Pump House, Electrical and Mechanical works and activation of water supply through existing distrubution system.	234.69726
Part- F	Instalation of Electro- Chlorinators for all the 11 no. OHSRs for disinfection of water for distrubution to the residents.	92.77290
	Provisional sum	25.10093
	Total	**527.11962**

2. उक्त प्राक्कलन पर विभागीय मुख्य अभियंता द्वारा तकनीकी अनुमोदन प्रदान किया गया है। तकनीकी अनुमोदन की राशि ₹527.11900 लाख (पाँच करोड़ सताईस लाख ग्यारह हजार नौ सौ रु०) मात्र है। नगर आयुक्त, नगर निगम, मुजफ्फरपुर के अनुरोध के आलोक में योजना की प्रशासनिक स्वीकृति निम्नवत प्रदान की जाती है :–

(राशि लाख में)

क्र० सं०	नगर निकाय का नाम	योजना का नाम	तकनीकी अनुमोदन की राशि	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	नगर निगम, मुजफ्फरपुर	मुजफ्फरपुर नगर निगम के 11 अकार्यरत जलमीनार को कार्यरत बनाने हेतु योजना का कार्यान्वयन	527.11900	527.11900

3. विभागीय राज्यादेश सं०– 351, दिनांक– 29.03.2017 एवं आवंटनादेश सं०– 352, दिनांक– 29.03.2017 द्वारा मुजफ्फरपुर नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत पूर्व से संचालित केन्द्र संपोषित JnNURM योजना की विस्तारित अवधि दिनांक– 31.03.2017 को समाप्त होने की स्थिति में योजना का अवशेष कार्य राज्य योजनान्तर्गत "मुख्यमंत्री शहरी पेयजल निश्चय योजना" से कराए जाने के निर्णय के आलोक में योजना स्वीकृति की प्रत्याशा में अग्रिम राशि ₹400.00 लाख (चार करोड़ रू०) मात्र सहायक अनुदान के रूप में आवंटित की गई थी। इस राशि का उपयोग उक्त योजना के अन्तर्गत किया जाएगा। साथ ही मुख्यमंत्री शहरी पेयजल निश्चय योजना से संबंधित संकल्प सं०– 1287, दिनांक– 25.02.2016 की कंडिका– 05(i) के अनुरूप 14वें वित्त आयोग एवं पंचम राज्य वित्त आयोग मद की कर्णांकित 30 प्रतिशत राशि, जो मुजफ्फरपुर नगर निगम के पास उपलब्ध है, में से उक्त योजना का कार्यान्वयन कराया जाएगा।

4. योजना का कार्यान्वयन निम्नांकित शर्तो के अधीन किया जायेगा :–

(i) **योजना का कार्यान्वयन नगर निगम, मुजफ्फरपुर द्वारा कराया जाएगा।**

(ii) **योजना का कार्यान्वयन ई–टेंडरिंग के माध्यम से निविदा आमंत्रित कर कराया जाएगा।**

(iii) क्रय संबंधी मामलों में विधिवत क्रय समिति का अनुमोदन प्राप्त कर क्रय किया जायेगा।

(iv) राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र विहित प्रपत्र में महालेखाकार, बिहार, पटना को भेजते हुए उसकी प्रति सरकार को भी उपलब्ध करायी जायेगी। साथ ही योजना के कार्यान्वयन का वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन भी सरकार को उपलब्ध कराया जायेगा।

(v) उक्त योजना इस शर्त के साथ स्वीकृत की जा रही है कि जलापूर्ति योजना का डुप्लीकेशन किसी अन्य योजना के तहत कार्यान्वित की जा रही/की गई योजना से किसी भी परिस्थिति में न हो।

(vi) योजना के कार्य स्थल पर एक बोर्ड प्रदर्शित रहेगा, जिस पर योजना का मद उसकी लागत तथा पूर्ण होने की तिथि अंकित रहेगी।

(vii) स्वीकृत राशि का व्यय उसी कार्य के विरूद्ध किया जायेगा, जिसके निमित राशि स्वीकृत की गई है।

5. भारतीय लेखा एवं अंकेक्षण विभाग को इससे संबंधित अभिलेखों को देखने एवं जाँच पड़ताल करने का पूर्ण अधिकार होगा।

6. इसकी सूचना महालेखाकार, बिहार, पटना/प्रमंडलीय आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल/जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर/प्रबंध निदेशक, बुडको/कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार एवं अन्य को भी दी जा रही है।

विश्वासभाजन,
23/8/2018
सरकार के प्रधान सचिव।